10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी निग-2805-II/16

श्री ... द्वारा आज दि. 19.8.16 को प्रस्तुत
19-8-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

घनश्याम पुत्र श्री सुमेरा आदिवासी निवासी – पिपरई, पोस्ट गूड़र थाना व तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

-- अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/2015–16/अ–21/(1) में पारित आदेश दिनांक 19.07.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है, अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश एवं कार्यवाही की गयी है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष अपने स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम वामौरकला सर्वे नं. 2185/2 रकवा 0.95 है0 भूमि जोकि पटवारी हल्का न. 69 का विक्रय हेतु आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि आवेदक के पास ग्राम बुढानपुर एवं पिपरई में कृषि भूमि है, जिसको उपजाऊ बनायेगा और नई तकनीकी से फसल उपजेगा, जिससे आवेदक का काफी लाभ होगा। ग्राम वामौरकला के सर्वे नं.2185/2 की भूमि उबड़–खाबड़ है जिसमें ठीक प्रकार से फसल नहीं हो पाती था काफी मेहनत व खर्चा होता है। उक्त भूमि के विक्रय से आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आयेगा क्योंकि आवेदक के पास शेष भूमि है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। कलेक्टर, जिला शिवपुरी को उपरोक्त कारणों पर विधिवत् विचार कर भूमि विक्रय की अनुमति दी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2805/एक/2016 जिला–शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-9-2016	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 26/2015–16 /अ–21(1) में पारित आदेश दिनांक 19.07.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा ग्राम ग्राम वामौरकला सर्वे नं. 2185/2 रकवा 0.95 है0 भूमि जोकि पटवारी हल्का न. 69 में स्थित है, को विक्रय हेतु आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि आवेदक के पास ग्राम बुढानपुर एवं पिपरई में कृषि भूमि है, जिसको उपजाऊ बनायेगा और नई तकनीकी से फसल उपजेगा, जिससे आवेदक का काफी लाभ होगा। ग्राम वामौरकला के सर्वे नं.2185/2 की भूमि उबड़–खाबड़ है जिसमें ठीक प्रकार से फसल नहीं हो पाती, काफी मेहनत व खर्चा होता है। उक्त भूमि के विक्रय से आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आयेगा क्योंकि आवेदक के पास शेष कृषि भूमि है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। कलेक्टर, जिला शिवपुरी को उपरोक्त कारणों पर विधिवत् विचार कर भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी किन्तु उनके द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विचार किये बिना प्रकरण में जो कार्यवाही की गयी है वह विधिवत् नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। कलेक्टर, जिला शिवपुरी के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।	

3– आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया था। आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में से ग्राम वामौरकला सर्वे नं. 2185/2 रकवा 0.95 है0 भूमि जोकि पटवारी हल्का न. 69 का विक्रय हेतु आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि वामौरकला के सर्वे नं.2185/2 की भूमि उबड़–खाबड़ है जिसमें ठीक प्रकार से फसल नहीं हो पाती था काफी मेहनत व खर्चा होता है। उक्त भूमि के विक्रय से आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आयेगा क्योंकि आवेदक के पास शेष कृषि भूमि है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। कलेक्टर, जिला शिवपुरी को उपरोक्त कारणों पर विधिवत् विचार कर भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी किन्तु उनके द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विचार किये बिना प्रकरण में जो कार्यवाही की गयी है वह विधिवत् नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4– अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया, इसलिए वर्तमान निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है, अतः इसी आधार पर समाप्त किये जाने योग्य है।

5– विद्वान अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ग्राम वामौरकला सर्वे नं. 2185/2 रकवा 0.95 है0 भूमि जोकि पटवारी हल्का न. 69 का विक्रय हेतु आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि आवेदक के पास ग्राम बुढानपुर एवं पिपरई में कृषि भूमि है, जिसको उपजाऊ बनायेगा और नई तकनीकी से फसल उपजेगा, जिससे आवेदक का काफी लाभ होगा। ग्राम वामौरकला के सर्वे नं.2185/2 की भूमि उबड़–खाबड़ है जिसमें ठीक प्रकार से फसल नहीं हो पाती था काफी मेहनत व खर्चा होता है। उक्त भूमि के विक्रय से आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आयेगा क्योंकि

आवेदक के पास शेष अन्य कृषि भूमि है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिए थी क्योंकि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन सद्भावना पर आधारित था तथा उसके साथ किसी भी प्रकार का छलकपट नहीं किया जा रहा था, ऐसी स्थिति में कलेक्टर, जिला शिवुपरी द्वारा आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह विधिवत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2016 अपास्त किया जाकर आवेदक को ग्राम वामौरकला में स्थित भूमि सर्वे नं. 2185/2 रकवा 0.95 है0 जिसका पटवारी हल्का नं. 69 है उसमें आवेदक का हिस्सा 1/3 भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दी जाती है।

सदस्य